(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 12 (आर.ई.-2012)/2009-2014
नई दिल्लीः दिनांक 26 जुलाई, 2012

विषयः- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2012)2009-14 मे संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2012)/2009-14 के पैरा 2.13.2क, 3.6.1, 3.10.3, 3.11.7, 3.11.8, 4.19, 5.10 और 5.23 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते है । इसे 5.6.2012 से प्रभावी माना जाएगा।

2. पैरा 2.13.2क (क) के अन्त में वाक्यांश ''अप्रयुक्त रहता है'' जोड़ा गया है और संशोधित पैरा निम्नानुसार होगाः

''(क) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा 15.9.2011 को अथवा उससे पहले पृष्ठांकन किया गया है किन्तु पुनः क्रेडिट अप्रयुक्त रहता है । ''

3. पैरा 3.6.1 के तहत (भारत से सेवित स्कीम के लिए अपात्र छूट और सेवाएँ) उप पैरा (छ) के बाद नया उप-पैरा (ज) जोड़ा गया है । नया उप-पैरा निम्नानुसार होगाः

''(ज) शिपिंग लाइन्स सेवा प्रदायकों द्वारा किसी देश एक्स से किसी देश वाई रुट से दी जाने वाली सेवाओं जो कि किसी भी रुप में भारत से होकर गुजरती नहीं है, के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन''

4. पैरा 3.10.3 (ख) को पुनः लिखा गया है ताकि नीति का गंतव्य स्पष्ट हो सके । पुनः लिखा गया पैरा निम्नानुसार होगाः

''(ख) यदि आवेदक ने वर्ष 2010-11 अथवा 2011-12 अथवा 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है तो वे उस वर्ष के लिए एस एच आई एस का पात्र नहीं होंगे [अर्थात संगत पिछले वर्षों (क्रमशः 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए)] । ऐसे एस एच आई एस आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और पैरा 9.3 (आवेदन प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब कटौती) भी लागू नहीं होगा । ''

5. पैरा 3.11.7 के पहले वाक्य में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि 24 महीने के स्थान पर 18 महीने के रुप में संशोधित की जाती हैं । संशोधित पैरा निम्नानुसार होगाः

'''शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 18 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनः वैधीकरण की अनुमति नही होंगी जब तक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.13.1 या पैरा 2.13.2क के अन्तर्गत शामिल न हों ।''

6. मौजूदा पैरा 3.11.8 नए पैरा द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

3.11.8 **मुक्त शिपिंग बिलों पर आशय की घोषणा**

(क) ''मुक्त शिपिंग बिल श्रेणी के तहत प्रस्तुत किए गए निर्यात पोतलदानों के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत लाभों का दावा करने हेतु पात्र होने के लिए शिपिंग बिलों पर निम्नलिखित घोषणा पत्र की आवश्यकता होगीः

हम अध्याय 3 के तहत लाभों का दावा करना चाहतें हैं ।

(ख) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 (शुल्क वापसी सहित) अध्याय 5 अथवा अध्याय 6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए ऐसी उद्घोषणा आवश्यक नहीं होगी ।

(ग) यदि किसी नए उत्पाद अथवा नए बाजार को शामिल करने के लिए ऐसे लाभों को प्राप्त करने का निर्णय साथ-साथ या बाद में लिया जाता है, तबः-

(i) ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के लिए/ऐसे बाजारों को निर्यात करने के लिए मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा करने के लिए निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) एक महीने की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यातों (ऐसे उत्पादों अथवा ऐसे बाजारों को) को मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की उद्घोषणा शामिल करनी होगी ।

(iii) उत्पादों/बाजारों के निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी उद्घोषणा आवश्यक नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं ।

7. निम्नलिखित पत्तनों को ''पंजीकरण का पत्तन'' से संबंधित पैराग्राफ 4.19 में आईसीडी और समुद्री पत्तनों के अंत मे जोड़ा जाएगाः-

<u>आईसीडीः</u>- तोंदियारपेट (टीएनपीएम) चैन्नई,

<u>समुद्री पत्तनः</u> कराईकाल (पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र)

इन नामों को संबंधित सूची के अंत में जोड़ा जाना है ।

(प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के संशोधित संस्करण में, इन्हें फिर क्रमवार तरीके से रखा जाएगा)

8. पैरा 5.10 के उप पैरा (क) और (ख) को संशोधित किया गया है और निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

(क) यदि जारी किए गए प्राधिकार पत्र का अधिक मूल्य के आयात के लिए वास्तविक रूप से उपयोग कर लिया गया है, जो लागत बीमा भाड़ा मूल्य/प्राधिकार की बचायी

गई शुल्क राशि के 10% तक है तो प्राधिकार पत्र को यथा-अनुपात में बढ़ा दिया गया माना जायेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र मूल्य/बचाई गई शुल्क राशि के 10 प्रतिशत तक अधिक, माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा ।

(ख) ऐसे मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किए जाने वाले अतिरिक्त आयातों के एक महीने के भीतर किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/बचाई गई शुल्क की राशि के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देगा। निर्यात दायित्व स्वतः ही आनुपातिक रुप से बढ़ जाएगा ।

9. पैरा 5.23 (निर्यातोत्तर ईपीसीजी ड्यूटी क्रैडिट स्क्रिप) के उप पैरा (ख) और (छ) को संशोधित किया गया है तथा अब निम्नलिखित रुप से पढ़ा जाएगाः

''(ख) पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यातक को सभी लागू होने वाले शुल्कों का नकद भुगतान करना होगा ।''

''(छ)(i) आगम बिल किए गए आयात पर भुगतान किए गए शुल्क को दर्शाता है। तत्पश्चात, यदि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर लिया गया हो, तो उस पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण की यह घोषणा कि 'उसके इस आगम बिल(बिलों) पर सैनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है तथा न ही वह ''भविष्य'' में प्राप्त करेगा' के प्रमाणपत्र के न होने पर सीवीडी घटक पर कोई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जहाँ सी वी डी अंश की गणना ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप देने के लिए की जाती है, क्षेत्रीय प्राधिकारी इस संबंध में आगम बिल (बिलों) को पृष्ठांकित करेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि सीवीडी अंश के लिए सैनवेट का लाभ नहीं लिया जाएगा तथा आगम बिल(बिलों) की संगत सूची सहित ब्यौरे देते हुए क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण को एक पत्र भेजेगा ।

(ii) तथापि, यदि (क) यूनिट उत्पादशुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा (ख) यूनिट ने उत्पादशुल्क से बाहर रहने का विकल्प चुना है अथवा (ग) अन्तिम उत्पाद उत्पादशुल्क के अधीन नहीं है तो केन्द्रीय उत्पादशुल्क कार्यालय से ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ''

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>ः प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I में कुछ संशोधन/आशोधन किए जा रहे हैं जिन्हें 05.06.2012 से लागू माना जाएगा ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/160/एएम12/पीसी-3 से जारी)